राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3 (ई) H– लिंक नं. 11631/2013/अलेसे–II/370 दिनांक :– 29.08.2025

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश पत्र संख्या 2033–40 दिनांक 13.01.2025 द्वारा श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं.11631) को दिनांक 13.01.2025 को मध्याह्न पश्चात् से निलम्बित किया गया। श्री हंसु कुमार अग्रवाल ने दिनांक 16.01.2025 को निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर में उपस्थिति दी गयी।

श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक 14.01.2025 मकर संक्रन्ति का राजकीय अवकाश एवं दिनांक 15.01.2025 का आकस्मिक अवकाश, दिनांक 10.01.2025 को ही स्वीकृत करवाकर मुख्यालय छोडने का पत्र प्रस्तुत किया गया है। विभागीय आदेश पत्र क्रमांक 616–619 दिनांक 07.07.2025 द्वारा श्री अग्रवाल को आरोपों से उन्मोचित कर निलम्बन से बहाल किया जा चुका है तथा निलम्बन अवधि में समस्त वेतन–भत्ते देते हुए समस्त प्रयोजनार्थ सेवा–काल अवधि मानी गयी है। प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के पत्रांक 7228 दिनांक 11.07.2025 के अनुसार श्री अग्रवाल ने दिनांक 09.07.2025 को मध्याहन पूर्व कार्यग्रहण किया गया। श्री अग्रवाल ने दिनांक 08.07.2025 तक निदेशालय में उपस्थिति दी गयी।

अतः श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को निलम्बन अवधि दिनांक 14.01.2025 से 07.07.2025 तक एवं आदेशों की प्रतिक्षा अवधि दिनांक 08.07.2025, इस प्रकार दिनांक 14.01.2025 से 08.07.2025 तक समस्त वेतन परिलाभ (निर्वाह भत्ते को समायोजन उपरान्त) का भुगतान संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर से किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3 (ई) H– लिंक नं. 11631/2013/अलेसे–II/370 दिनांक :– 29.08.2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
2. श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सूची।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

D:/sas-ii/Rajesh ji/order.docx 230